तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	वि॰ प्रकरण [illegible] — 13/2025 पेश हुई। जो [illegible] पत्रावली की [illegible]। वास्ते [illegible] तामील पत्रावली दिनांक 17-06-2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
17.6.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे / अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30.6.25 को पेश हो।
30.6.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे / अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10.7.25 को पेश हो।
10.07.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थीगण की नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल. आर.एक्ट पर बहस सरकारी पैरोकार एकपक्षीय सुनी गई। प्रकरण में सरकारी पैरोकार ने दौराने बहस अवगत कराया कि भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रचलित रास्ता के प्रस्ताव में कृषि भूमि खसरा नम्बर 640, 600/744 तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में प्रस्तावित किया गया प्रचलित रास्ता भोजलाई रास्ते से [illegible] तक जाता है तथा यह ढाणी रामावतार यादव की तक जाता है। जो रास्ता [illegible] आवागमन हेतु चालू होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ में काम आ रहा है। प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:01:31 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम जनता
हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

केस 48 2025-13/2025

दर्शाया गया है। उक्त प्रस्ताव पर अधिकांश खातेदारान् के द्वारा सहमति बतौर अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये है तथा जिन खातेदारान् के द्वारा सहमति बतौर हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये है। उन खातेदारान् की सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये थे। जिस पर खातेदारान् शेष अप्रार्थीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रस्तावित प्रचलित रास्ता कदीम से चालू होकर वर्तमान में भी चालू है। जो आमजन के सार्वजनिक उपयोग–उपभोग में आवागमन के रूप में काम में आ रहा है। उक्त प्रचलित रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आ रहा है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता को स्वीकार करने बाबत निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने प्रकरण में सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर की एकपक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्व ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 640, 600/744 में से प्रस्तावित किया गया प्रचलित रास्ता भोजलाई रास्ते से बेरी वाले बालाजी तक जाता है तथा यह ढ़ाणी रामावतार यादव की तक जाता है। जो रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ में काम आ रहा है। जो मौके पर आवागमन हेतु चालू होना गुगल मैप से भी प्रमाणित होता है। उक्त प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया जाकर उक्त प्रस्ताव पर अधिकांश खातेदारान् के द्वारा उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने हेतु सहमति बतौर अपने हस्ताक्षर अंकित किया जाना प्रकट होता है। वो खातेदारान् जिनके द्वारा प्रचलित रास्ते हेतु सहमति बतौर हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये है। उनको सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये जाकर उनको समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रकट होता है। भूमि खसरा नम्बर 640, 600/744 में से मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:01:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible]
	नि॰ प्रा॰ पत्र [illegible] 12/2025

मौजूद प्रचलित रास्ता [illegible] आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है तथा उक्त रास्ता [illegible] रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड नहीं है। उक्त रास्ता निजी खातेदारी भूमि में से होकर है। उक्त प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकार्ड [illegible] अंकन कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 13[illegible] [illegible] 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 5[illegible] [illegible] [illegible] 86 के प्रावधानों के तहत प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय [illegible] भिजवाये गये है जिस पर अधिकांश खातेदारान् सहमत है। [illegible] प्रकार प्रस्तावित प्रचलित रास्ते के मौके पर कदीम काल से प्र[illegible] रास्ते के रूप में काम में आने तथा अधिकांश खातेदारान् द्वा[illegible] सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये जाने तथा शेष के विधिवत ता[illegible] उपरांत एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] भिजवाये गये प्रस्ताव को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एंव 86 के प्रावधानों के तहत भिजवाये गये प्रस्ताव [illegible] न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा रास्ता राजस्व रिकार्ड [illegible] [illegible] किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निम्नानुसार [illegible] जाते है :–

राजस्व [illegible] नाथ[illegible] भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर [illegible] [illegible]0 रकबा 3.84 हैक्टर में से 0.0560 हैक्टर, 600 / 741 रकबा 0.3300 हैक्टर में से 0.0240 हैक्टर भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित / दर्ज खातेदारी कृषि भूमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:01:31 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम की तालीम
प्र.क्र. - 13/2025	

तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एंव संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खातें ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रहेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:01:31 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)